न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर

अपील/RTI/106/22

देवप्रकाश शर्मा निवासी 3–च–10 आर.एच.बी. शास्त्री नगर जयपुर, पिन 302016

..अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार वैर.....

..रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 31.01.2023**

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट देवप्रकाश शर्मा निवासी 3–च–10 आर.एच.बी. शास्त्री नगर जयपुर की अपील लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार वैर जिला भरतपुर के विरूद्ध इस आशय की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय के पत्रांक कोर्ट/2022/44 दिनांक 11.01.2023 से लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार वैर से सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत् रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी से कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र एवं अपील का अवलोकन किया, अपीलान्ट ने अपनी अपील में अंकित किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। सूचना उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया है। इस बाबत् तहसीलदार वैर से कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं होना, अपीलार्थी के कथनों की पुष्टी करता है। अस्तु अपील स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार वैर को निर्देशित किया जाता है कि वे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के तहत बाध्यकारी प्रावधानों को मध्येनजर रखते हुये अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनायें अन्दर 15 दिवस में उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को प्रेषित हो, निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार वैर को प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर
भरतपुर